भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4026

19.03.2021 को उत्तर के लिए

रासायनिक अपशिष्ट से प्रदूषण

4026. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने मुसी नदी में कोई अपशिष्ट विशेषकर फार्मास्युटिकल उद्योगों से रासायनिक अपशिष्ट नहीं डाले जाने को सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय तथा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुसी नदी को संदूषण तथा प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए सरकार द्वारा आबंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) मुसी नदी में कोई रासायनिक अपशिष्ट नहीं डाला जाता है। इस नदी के जलग्रहण-क्षेत्र में स्थापित उद्योगों से कुल मिलाकर 9.65 एमएलडी अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, जिसमें से 5.65 एमएलडी का कैप्टिव ईटीपी तथा शेष का 4.56 एमएलडी की क्षमता वाले तीन साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों के माध्यम से शोधन किया जा रहा है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुसी नदी के जलग्रहण-क्षेत्र में कुल 1960 एमएलडी मलजल उत्सर्जित किया जा रहा है, 772.5 एमएलडी के एसटीपी मौजूद हैं और 1259 एमएलडी संबंधी प्रस्ताव, विभिन्न चरणों में हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य घर-घर जाकर 100% एकत्रण के माध्यम से किया जाता है तथा वैज्ञानिक भराव-क्षेत्र सहित एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रसंस्करण सुविधा में प्रबंधित किया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार ने 40:60 के अनुपात में सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से 1280.87 करोड़ रूपए के लिए जी.ओ. आर.टी.सं. 374, एमएएंडयूडी विभाग, दिनांक 11.09.2020 के द्वारा 376.5 एमएलडी की कुल शोधन क्षमता वाले 17 एसटीपी के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।

*****